



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी(SSAAT)

कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141 2227033

क्रमांक: एफ 61(10) SSAAT / लोकपाल /2022-2023/3823

जयपुर, दिनांक 06/9/23

कार्यालय आदेश



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23/12/2021 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61 (197) SSAAT/ लोकपाल नियुक्ति/ 2021-2022/ 9093 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा 04 जिलों में सर्वप्रथम एक वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्ति किया गया था। एक वर्ष के प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर इन 04 जिलों के लोकपाल की कार्यावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-

1. जिला श्रीगंगानगर, भीलवाडा, राजसमंद तथा जैसलमेर के लोकपाल की समयावधि एक वर्ष के लिए और (कुल दो वर्ष) बढ़ायी जाती है।

उपरोक्तानुसार लोकपाल की समयावधि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल के संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 20.03.2023 में उल्लेखित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2023 के बिन्दु संख्या 2.2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

(संदीप चौहान)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही  
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक: एफ61(10)SSAAT/लोकपाल/2022-2023/3824-32 जयपुर, दिनांक 06/9/23

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ( महात्मा गांधी नरेगा ) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, संबंधित जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, श्रीगंगानगर, भीलवाडा, राजसमंद तथा जैसलमेर।
5. संबंधित अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, श्रीगंगानगर, भीलवाडा, राजसमंद तथा जैसलमेर।
6. संबंधित लोकपाल।
7. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय (समस्त)
8. प्रोग्रामर/ सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कंवर)  
उपनिदेशक (SSAAT)